

आमालम सहायक कलक्टर (एस डी ओ) बालोतरा

पीवासीन अधिकारी श्री सुरेश सोनी, वाद पृष्ठ

राजस्व वाद संख्या 38/2010

वादिनी

बनाम

प्रतिवादीगण

श्रीमती श्री देवी पुत्री स्व. मंगलाराम जाति
खारवाल निवासी पंचमदरा

1. वैरायण के कामरत मुकाम शारदादेवी पत्नी स्व. वैरायण पुत्र मंगलाराम जाति खारवाल निवासी मध्यमदरा
2. कमलेश पुत्र स्व. मंगलाराम जाति खारवाल निवासी पंचमदरा
3. शिवान पुत्र स्व. मंगलाराम जाति खारवाल निवासी पंचमदरा
4. श्रीमती जम्नादेवी पत्नी श्री अर्जुनराम जाति जोर निवासी कलाना तहसील पंचमदरा
5. श्रीमती ज्योतीदेवी पत्नी श्री मंगलराम जाति जोर निवासी कलाना तहसील पंचमदरा
6. अमृतलाल पुत्र बंशाली जाति खारवाल निवासी मध्यमदरा तहसील पंचमदरा जिला बाझमेर
7. रावस्थान शरण जारि तहसीलदार पंचमदरा
8. अनुराधा पत्नी करणीबान देवा जाति वायण निवासी लक्ष्मीपुर बाझमेर
9. श्री आर्जुनाथ गौरी सेवा समिति बालोतरा जारि अक्षय करणाराम पुत्र पुत्राराम जाति प्रजापत निवासी शम्भुना ग्राम के पीछे, बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

- उपरिस्थिति—
1. श्री सुरेश नारायण खारवाल वकील वादिनी।
 2. श्री अचलाराम थोरी वकील प्रतिवादी संख्या 9

निर्णय

दिनांक 22.07.2022

प्रतिवादीगण 1 ता 4 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के शक्ति में कथन के सुसंगत तथा इस प्रकार है कि वादिनी ने वाद पत्र के पेज संख्या 2 के पद संख्या 1 में अभिवचन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में उसका 1/5 हिस्सा सयुक्त खातेदारी का है, जो पुश्तैनी खेत है, उसमें प्रतिवादी संख्या 7 अमृतलाल का 1/2 हिस्सा बताकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता मंगलाराम का 1/2 हिस्सा बताकर 1/5 हिस्सा क्लेम किया कर बंटवाड़ा का वर्तमान वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अगर बकौल वादिनी वादग्रस्त खसरान की भूमि पुश्तैनी खेत है, तो विधि में उक्त खेत पर हिन्दु परिवार में किसी महिला वारिस को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसी दशा में वादिनी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद के वादपत्र में वाद लाने का कोई बिनाय उत्पन्न होना प्रकट नहीं होता है, और न वादिनी द्वारा ऐसा कोई बिनाय दावा उत्पन्न होना प्रकट किया गया है, ऐसी दशा में वर्तमान मामले में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः वादिनी का वादपत्र रिजेक्ट करने योग्य है। इस प्रार्थनापत्र का निस्तारण विधि अनुसार वादिनी के वादपत्र में उसके द्वारा किये गये अभिवचनों के अवलोकन के आधार पर किया जावेगा। जिसके अनुसार वादपत्र में वर्तमान वाद के लिये प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई बिनाय दावा उत्पन्न होना प्रकट नहीं होता है अतः वादिनी

का वादपत्र अन्तर्गत 7 नियम 11 सीपीसी की क्लोज ए के अनुसार रिजेक्ट करने योग्य है। प्रतिवादीगण संख्या

(सुरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) बालोतरा

क्रिया 4 के द्वारा वादिनी के वाद को रिजेक्ट कर वादिनी से इस वाद का कानूनी व्यय दिलाने का निवेदन किया गया।

वादिनी मीरो पुत्री स्व० मंगलाराम की ओर से प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश कर प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादिनी ने अपने पुश्तैनी हक खातेदारी की जमीन में उसके पिता मंगलाराम का स्वर्गवास हो जाने से उसका विधिक अधिकार पुश्तैनी जमीन होने से यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। पैतृक सम्पत्ति व पुश्तैनी जमीन में हिन्दु अधिनियम में लड़के व लड़कियों का बराबर हिस्सा माना जाता है एवं है। वादिनी का वादग्रस्त आराजी में उसके पिता की पैतृक सम्पत्ति में 1/5 हिस्सा कानूनन बनता है। जिसका खातेदारी अधिकार घोषित करवाने की अधिकारिणी है। प्रतिवादीगण के द्वारा आवेदन पत्र महज दावे को लम्बा करने के लिये एवं वादिनी को परेशान करने के लिये किया गया है जो मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की और श्री चम्मालाल सोनी की और से उक्त प्रार्थना-पत्र पेश करने के बाद प्रतिवादीगण की और से इस वाद में किसी प्रकार की पैरवी नहीं की गई है। न ही उपरोक्त दोनों वाद के प्रति वे गम्भीर है, ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, बहस के दौरान दोनों प्रतिवादीगण के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर केवल मात्र वाद को लम्बा करने की नियत से उक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र पेश करने के बाद लम्बे समय से पैरवी नहीं की जा रही है, प्रतिवादीगण उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व वाद पत्र को लेकर गम्भीर रहे है। वादिनी स्वर्गीय मंगलाजी की जायन्दा पुत्री होने से दावा लाने की अधिकारिणी है। पैतृक सम्पत्ति व पुश्तैनी जमीन में लड़के व लड़कियों का बराबर हिस्सा उनके जन्म से ही प्राप्त होता है। उसे उसके हक हकूको से महरूम नहीं रखा जा सकता है, न ही वादिनी को उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

(निखा सोनी)
सहायक कलेक्टर
(एसडीओ) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 22.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(निखा सोनी)
सहायक कलेक्टर
(एसडीओ) बालोतरा
(SDO) बालोतरा